witness No.....**05**..... for .....**अभियोजन. साक्षी**.....Deposition taken

the----------..... day of 14/**03/2018**-------- Witness's apparent age----39----------

States on affirmation-----शपथ पूर्वक---- my name is -- ..**संजीत बर्मन**

Son of- .....**संतोष बर्मन** .occupation -**पेटिंग**

address-----**माना कैम्प, रायपुर छ0ग0**

01. मैं हाजिर अदालत आरोपीगण को जानता हूं । पुलिस वालें मेरे सामने किशोर विश्वास से कोई पुछताछ नहीं किये थे किशोर विश्वास का मेमोरण्डम प्रदर्शपी 12 को दिखा कर पुछे जाने पर उसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिसवालें मेरे सामने आरोपी किशोर से कोई समान जब्त नहीं किये थे किन्तु जब्ती पत्रक प्रदर्शपी 13 को दिखा कर पुछे जाने पर उसके ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना कहता है ।

इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण स्वरूप प्रश्न पुछे जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया जिसे स्वीकार कर अनुमति प्रदान की गयी ।

02. मैं राहुल राय को नहीं जानता हूं । मैं तुलिका विश्वास को जानता हूं । मैं पढाई नहीं किया हूं यह कहना गलत है कि किशोर विश्वास ने मेरे सामने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि राहुल राय उसकी लडकी तुलिका विश्वास को काली पुजा के दौरान छेडछाड व ईशारे बाजी कर रहा था । यह कहना भी गलत है कि किशोर विश्वास ने पुलिस को मेरे सामने बताया कि वह, के0बाल0 एवं पी0के0 ने राहुल राय को लकडी के बत्ता से मारपीट किया है ।

03. यह कहना भी गलत है कि लकडी के बत्ते को किशोर विश्वास अपने घर में छुपा कर रखना बताया तथा बरामद करा देने को कहा । यह कहना भी गलत है कि किशोर विश्वास के बयान का मेमोरण्डम पुलिस ने मेरे समक्ष लिया था । यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त किशोर विश्वास के निशान देही पर पुलिस ने मेरे सामने एक लकडी का

बत्ता उसने जब्त किया था ।

04. यह सही है कि आशीष मेरा साढु भाई है । यह कहना सही है कि आशीष किशोर विश्वास का सगा छोटा भाई है । यह कहना गलत है कि अभियुक्त किशोर मेरे रिश्तेदारी में है इसलिए उसे बचाने के लिए आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री बी0के0 सिन्हा वास्ते अभियुक्त किशोर विश्वास</u>

05. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री ए0के0 कुण्डु वास्ते अभियुक्त पी0के उर्फ प्रलय कर्मकार</u>

06. कुछ नहीं । __

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्रीमती अपर्णा दीवान वास्ते अभियुक्त के0बाला0</u>

07. कुछ नहीं ।

साक्षी को पढकर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया गया

मेरे निर्देशानुसार अभिलिखित

सही/–
(राकेश कुमार वर्मा)
प्रथम अति0 सत्र न्यायालय के
प्रथम अति0 न्यायाधीश
रायपुर छ0ग0

सही/–
(राकेश कुमार वर्मा)
प्रथम अति0 सत्र न्यायालय के
प्रथम अति0 न्यायाधीश
रायपुर छ0ग0

साक्षी के हस्ताक्षर.....

–::प्रमाण पत्र::–

मैं पुष्टि करता हूं कि इस पी0डी0एफ फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है , जो मूल आदेश/निर्णय/कथन में टंकित की गई है ।

साक्ष्य लेखक का नाम :– दुर्गेश कुर्रे